



2026:AHC-LKO:41039

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 4431 वर्ष 2026

सूरज निषाद और 2 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : विकास यादव, शिवम श्रीवास्तव, सूर्याश पांडे

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2026, धारा 2/3(1) उ० प्र० गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- कुडेभार, जिला- सुलतानपुर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है तथा वह 16.01.2025 से जेल में है। आवेदक की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि यह निर्विवाद है कि एक मामला गैंग चार्ट में दर्ज है और उस मामले में आवेदक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानत पर है। सह-आरोपी फगुलल उर्फ फगुलल निषाद को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2026 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3643/2026 में पहले ही जमानत दी जा चुकी है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि याचिकाकर्ता वचन देते हैं कि वे किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं होंगे जो कानून के विरुद्ध हो। अतः याचिकाकर्ता जमानत के पात्र हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता जमानत देने की प्रार्थना का विरोध करते हैं, लेकिन यह स्वीकार करते हैं कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित मामले में, आवेदक जमानत पर है और सह-आरोपी फगुलल उर्फ फगुलल निषाद को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेखों को देखते हुए तथा आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस कथन के मद्देनजर कि आवेदक किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो कानून के विरुद्ध हो, उ० प्र० गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 19 (4) के अंतर्गत निहित दोनों शर्तें संतुष्ट हैं।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. आवेदकगण अर्थात् आवेदक सूरज निषाद, सुखलाल उर्फ भाटे और सोहनलाल को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 01/2026 में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो विश्वसनीय जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- (iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।
- (iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भा०दं०सं०/269 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही कर सकता है।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दं०प्र०सं०/84 भा०ना०सु०सं० के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-क भा०दं०सं०/209 भा०न्या०सं० के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।
- (vi) आवेदक (क) मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (ख) आरोप तय करने; और (ग) धारा 313 दं०प्र०सं०/351 भा०ना०सु०सं० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर परीक्षण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और निचली अदालत जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

9. उपरोक्त निर्देशों के साथ, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

जून 12, 2026

अर्पण

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।